ए.

रोहतास और ए. एन. आर.

बनाम

हरियाणा राज्य

(2009 की आपराधिक अपील (आईडी1) 05 नवंबर, 2019

बी.

[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधानःArt.136-विशेष अनुमति याचिका-उच्चतम न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन-अनुमति-आयोजितःसर्वोच्च न्यायालय, Art.136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से एक अपील पर विचार करते समय, आम तौर पर, रिकॉर्ड पर साक्ष्य की फिर से सराहना करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय को कानून या प्रक्रिया की एक स्पष्ट त्रुटि करते हुए नहीं दिखाया जाता है या अवर न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष, इसके सामने, विकृत है-केवल इसलिए कि एक ही साक्ष्य पर एक और दृष्टिकोण संभव है, जो तथ्यों के बहुत कम समवर्ती निष्कर्ष के तहत अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

सी.

डी.

दंड संहिता, 1860:s.302/34-छह आरोपी-पीड़ित के पेट पर चाकू से वार करना-मृतक को अपीलार्थियों द्वारा घातक चोटें पहुंचाना-चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य (पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2)-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि-आरोपी नं.1 और 2 और अन्य को बरी करना-अभियोजन का मामला यह था कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर सवार मृतक को बाधित किया-उसे रोके जाने के तुरंत बाद, दोनों अपीलार्थियों ने मृतक के पेट पर एक के बाद एक चाकू से वार किए-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सच माना- विचारण न्यायालयों द्वारा लिए गए उस समवर्ती दृष्टिकोण से विचलित होने का कोई कारण नहीं-जांच में अपीलार्थियों द्वारा बताई गई कमियां महत्वहीन और तुच्छ थीं और पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के पूरे साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा रिपोर्ट के रूप में अन्य साक्ष्यों और मौके से मानव रक्त दाग वाली मिट्टी की बरामदगी से हुई।

ई.

एफ.

जी.

एच.

861 ए.

862 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 16 एस. सी. आर.

अभिलेख पर अपीलार्थियों के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया-यह तथ्य कि पिछली शत्रुता के बारे में कोई सबूत नहीं था और अभियोजन पक्ष द्वारा उस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, नीचे दी गई दो अवर न्यायालयों द्वारा लिए गए समवर्ती दृष्टिकोण को उलटने का आधार नहीं हो सकता है, अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करना-अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

बी.

आपराधिक कानून:संदेह का लाभ-बरी किए गए अभियुक्त को दिया गया गलत लाभ दोषी अभियुक्त का लाभ नहीं उठा सकता है, जिसके खिलाफ स्पष्ट, सत्य और अनुपलब्ध साक्ष्य उपलब्ध थे।

गवाह:गवाहों की प्रतिक्रिया-आयोजित:गवाहों की प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती-गवाहों के व्यवहार में भिन्नता और भिन्नता की संभावना है या स्थिति से स्थिति और व्यक्ति से व्यक्ति में उनकी प्रतिक्रियाएं-न्यायालय को अवास्तविक आधार पर साक्ष्य को नहीं समझना चाहिए-अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में अंतर, तत्काल मामले में, मृतक की स्थिति के बारे में जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए, मामले को आगे नहीं ले जाएगा, विशेष रूप से जब चिकित्सा रिपोर्टों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसे अर्ध-बेहोश स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद ही डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** यह कानून में स्थापित स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय**,** भारत के संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से एक अपील पर विचार करते हुए**,** आम तौर पर**,** रिकॉर्ड पर साक्ष्य की फिर से सराहना करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय को कानून या प्रक्रिया की एक

स्पष्ट त्रुटि करते हुए नहीं दिखाया जाता है या नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष, इसके बावजूद, विकृत है।[पैरा **12] [872-ई]**

एफ.

2. पीडब्लू**-1** से व्यापक रूप से जिरह की गई, लेकिन जिरह**-**इन**-**चीफ में उसके इस बयान के संबंध में कोई कमी नहीं आई कि आरोपी नंबर **1** और आरोपी नंबर **2** ने मृतक के पेट पर चाकू से वार किया और घातक चोटें पहुंचाईं।पीडब्लू**-2** के साक्ष्य के संबंध में भी यही स्थिति थी। यहां तक कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उस तरीके का उल्लेख किया जिसमें मृतक को सभी आरोपी ए द्वारा रोका गया था।

जी.

एच.

863

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य ए

जब वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था और उसके तुरंत बाद आरोपी नंबर **1** और आरोपी नंबर **2** ने उसके पेट पर एक के बाद एक चाकू से वार किए।तथ्य यह है कि इसी तरह की भूमिका अभियुक्त संख्या **4** और अभियुक्त संख्या **6** को दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर उन्हें बरी कर दिया, जो पहले से ही रिकॉर्ड में आए साक्ष्य की गुणवत्ता को कम करने का आधार नहीं हो सकता है।न तो राज्य ने और न ही शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर हमला किया क्योंकि आरोपी बरी हो गए थे।इसका मतलब यह नहीं होगा कि सह**-**अभियुक्त को दी गई गलत राहत उन अपीलार्थियों को भी दी जानी चाहिए जिनके खिलाफ उनके द्वारा अपराध करने के तरीके के बारे में साक्ष्य दर्ज किया गया था।[पारस **15-16] [876-F-G; 877-E-H]**

बी.

सी.

3. चश्मदीद गवाह पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** का सबूत था कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर सवार मृतक को बाधित किया था।उसे रोके जाने के तुरंत बाद, दोनों अपीलार्थियों ने मृतक के पेट पर एक के बाद एक चाकू से वार किए।अपीलार्थियों की यह भूमिका अलग थी।इसके बाद मृतक ने मौके से भागने का प्रयास किया जब उसे अन्य आरोपी व्यक्तियों ने रोक दिया और उनमें से दो ने एक के बाद एक चाकू से हमला किया।इसलिए, घटनाओं को अलग किया जा सकता है।जहाँ तक दूसरी घटना का संबंध है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने संबंधित अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया।इस अर्थ में, अपीलार्थियों घटना के उस हिस्से से संबंधित नहीं हैं।न तो राज्य ने और न ही शिकायतकर्ता ने

अन्य अभियुक्तों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है।किसी भी मामले में, उन अभियुक्तों को दिया गया गलत लाभ अपीलार्थियों के लाभ को सुनिश्चित नहीं कर सकता है जिनके खिलाफ स्पष्ट, सच्चा और अनुपलब्ध साक्ष्य सामने आ रहा है।क्योंकि, न तो पीडब्लू-**1** और पीडब्लू-**2** की उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है और न ही उनके साक्ष्य को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वे मृतक से संबंधित हैं और उनमें कोई गवाह नहीं है। निस्संदेह, सिर्फ इसलिए कि गवाह संबंधित हैं, उनके साक्ष्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकता है, यदि यह अन्यथा स्वाभाविक और सच्चा है।निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा लिए गए उस समवर्ती दृष्टिकोण से विचलित होने का कोई कारण नहीं है।**[**पारस **18-20] [878-C-G; 879-A]4.** जाँच या अभियोजन मामले में अपीलार्थियों द्वारा बताई गई तथाकथित कमियाँ महत्वहीन और तुच्छ हैं और पूरे साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

पीडब्लू-**1** और पीडब्लू-**2** जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के रूप में अन्य साक्ष्यों और अस्पताल के पास उस स्थान से मानव रक्त से सना मिट्टी की बरामदगी से होती है जहां मृतक पर आरोपी द्वारा हमला किया गया था।यह तथ्य कि मानव रक्त दाग वाली मिट्टी के रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सकता है, उस साक्ष्य के टुकड़े को त्यागने का कोई आधार नहीं हो सकता है।यहां तक कि अपराध करने के दौरान अभियुक्त संख्या **1** द्वारा उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी भी अपराध करने में अपीलार्थियों की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करती है।अभिलेख पर गुणवत्तापूर्ण ठोस साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के अपराध को स्थापित करता है।**[**पैरा **22] [882-**ए-सी**]**

बी.

सी.

5. गवाहों की प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती।न्यायालय को अवास्तविक आधार पर साक्ष्य की व्याख्या नहीं करनी चाहिए।मानव प्रतिक्रिया में एकरूपता के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है।अस्पताल में भर्ती होने के समय मृतक की स्थिति के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में अंतर, इसलिए, मामले को आगे नहीं ले जाता है, विशेष

रूप से जब चिकित्सा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उसे अर्ध-बेहोशी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। **[**पैरा **23] [882-**डी-ई**]**

डी.

ई.

6. जहाँ तक एफ**.** आई**.** आर**.** दर्ज करने में देरी का संबंध है**,** उस पहलू पर भी विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष ने उस बचाव याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय का पक्ष लिया था।कोई देरी नहीं हुई है जैसा कि समकालीन अभिलेख से स्पष्ट है।घटना के तुरंत बाद मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।दोपहर **11.00** बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ने सिटी पुलिस स्टेशन को दोपहर **11.30** पर सूचित किया। इसके बाद**,** पीडब्लू**-1** ने अस्पताल की इमारत के पास एएसआई **(**पीडब्लू**-5)** से शिकायत की और अंत में **0015** बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।**25** से **26** अप्रैल**, 1998** की रात को।इसे ध्यान में रखते हुए**,** विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी**,** तत्काल मामले की तथ्य स्थिति में बरकरार है।**[**पारस **24-26] [882-F; 883-C-D; 884-B-C]**

एफ.

जी.

7. बचाव ने आत्म**-**विरोधाभासी रुख अपनाया।सबसे पहले**,** यह दावा किया गया कि मृतक को उसी शाम **6:30** बजे हुई पहली घटना में चोटें आईं।हालाँकि**,** उस याचिका के समर्थन में कोई सबूत सामने नहीं आया था।फिर**,** ए

एच.

बचाव पक्ष द्वारा वैकल्पिक याचिका यह थी कि मृतक वास्तव में किसी अन्य स्थान पर घायल हो गया था और उसे तिपहिया वाहन से अस्पताल लाया गया था।यहाँ तक कि अभियुक्त की इस याचिका को भी कल्पना की उपज माना गया था और इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था।दूसरी ओर**,** अभियोजन पक्ष ने अस्पताल के पास उस स्थान से मानव रक्त की गंदी मिट्टी के रूप में सबूत पेश किए**,** जहां पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** द्वारा बताई गई घटना हुई थी।यहां तक कि यह तथ्य कि उसी शाम शाम **6:30** बजे हुई पहली घटना के संबंध में दायर किए गए प्रति**-**मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था**,** अपीलार्थियों के लिए मामले को आगे नहीं ले जाएगा।यह एक स्वतंत्र घटना थी जबकि अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज अपराध का निष्कर्ष

उस घटना के बारे में था जो सरकारी अस्पताल के पास रात **8:30** बजे हुई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साबित किया गया था।**[**पारस **27-28] [884-C-G]**

बी.

सी.

दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन **(1975) 4** एससीसी **649;** एमएस**.** दलबीर कौर और अन्य बनामपंजाब राज्य

डी.

(1976) 4 एससीसी 158:[1977] 1 एस. सी. आर. 280; रमनभाई

नारनभाई पटेल और अन्य बनामगुजरात राज्य **(1999) 9**

जेटी 319:[1999] 5 पूरक।एस. सी. आर. 41; चंद्र बिहारी

गौतम और ओआरएस**.** वी**.**बिहार राज्य जे**.** टी**. (2002) 4** अनुसूचित जाति **62: [2002] 2** एससीआर **1164;** राधा मोहन सिंह **@**लाल साहब

ई.

& ओआरएस. वी.उत्तर प्रदेश राज्य जे. टी. (2006) 1 एस. सी. 428:[2006] 1

एससीआर **519;** रिज़ान और एनर वी**.**छत्तीसगढ़ राज्य

(2003) 2 एससीसी 661:[2003] 1 एस. सी. आर. 457; उत्तर राज्य

प्रदेश बनाम राम कुमार और अन्य। **(2017) 14** एससीसी **614;** ब्रह्म स्वरूप और अन्न बनामउत्तर प्रदेश राज्य **(2011)**

एफ.

6 एससीसी 288:[2010] 15 एस. सी. आर. 1 दिलावर सिंह और अन्य बनामहरियाणा राज्य (2015) 1 एससीसी 737:[2014] 7 एससीआर

844 ; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एम**.** मधुसूदन राव

(2008) 15 एससीसी 582:[2008] 14 एससीआर 1170; किशन

सिंह (मृत) एल. आर. बनाम गुरपाल सिंह और अन्य के माध्यम से।

जी.

(2010) 8 एससीसी **775:[2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 16-**पर निर्भर।

यू. पी. राज्य बनाममोती राम और अन्य। **(1990) 4** एससीसी **389:[1990] 2** एससीआर **939;** बलाका सिंह और अन्य बनामराज्य

पंजाब (1975) 4 एस. सी. सी. 511:[1975] पूरक।एससीआर 129-प्रतिष्ठित।

एच.

866 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 16 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

(1975) 4 एस. सी. सी**. 649**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12**

[1977] 1 एससीआर **280**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12**

[1999] 5 पूरक।एससीआर **41**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12**

बी.

[2002] 2 एससीआर **1164**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12**

[2006] 1 एससीआर **519**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12**

विशिष्ट पैरा **17**

[1990] 2 एससीआर **939**

[1975] पूरक।एस. सी. आर**. 129** विशिष्ट पैरा **17 [2003] 1** एस. सी. आर**. 457**

सी.

पर भरोसा किया गया |

पैरा **20**

(2017) 14 एस**.** सी**.** सी**. 614**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **21**

[2010] 15 एससीआर **1**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **21**

[2014] 7 एससीआर **844**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **23**

डी.

[2008] 14 एससीआर **1170**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **24**

[2010] 10 एससीआर **16**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **25**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2009 की आपराधिक अपील सं. 764।

1999 की आपराधिक अपील संख्या 241-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 13.03.2008 के निर्णय और आदेश से।

ई.

अरविंद कुमार, श्रीमती लक्ष्मी अरविंद, प्रदीप कुमार माथुर, नवल किशोर, दीपांकर, चिरंजीव जौहरी, चंद्र नंद झा, एम. के. तिवारी, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एफ.

डॉ. मोनिका गुसैन, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह अपील 1999 की आपराधिक अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 13 मार्च, 2008 को पारित निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसमें अपीलार्थियों रोहतास (आरोपी संख्या 1) और सुरेंद्र सिंह (आरोपी संख्या 2) को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 2 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी।

जी.

एच.

867

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

2. प्रारंभ में, 26 अप्रैल, 1998 को पुलिस स्टेशन, सिटी पलवल में एफ. आई. आर. No.298 के रूप में दर्ज अपराध के लिए छह अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था।बिशन सिंह (पीडब्लू-1) ने पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना दी, जिसका बयान 25 अप्रैल, 1998 को लगभग आईडी1 बजे दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि लगभग 6:30 बजे दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ था।वह एक समूह का सदस्य था जबकि रूप चंद (आरोपी नंबर 4) एक अन्य समूह का सदस्य था जिसने उसके भाई वेद प्रकाश और भतीजे अनिल कुमार पर हमला किया था।उन्हें चोटें आईं और बिशन सिंह (पीडब्लू-1), रति चंद (अनिल कुमार के पिता) और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) द्वारा इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, पलवल ले जाया गया।लगभग 8:30 बजे, जब वे सरकारी अस्पताल पलवल के गेट पर खड़े थे, तो उनके भाई मोहर पाल मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे।उसे अनाज मंडी, पलवल में एक कमीशन एजेंट से पैसे लाने के लिए कहा गया था।जब मोहर पाल अस्पताल के गेट से लगभग दस कदम की दूरी पर अनाज मंडी की ओर जा रहा था, तो सभी छह आरोपी सामने से आए और उसकी मोटरसाइकिल रोक दी।इसके तुरंत बाद, अपीलार्थियों रोहतास (आरोपी नंबर 1) और सुरेंद्र सिंह (आरोपी नंबर 2) दोनों ने मोहर पाल के पेट में एक के बाद एक चाकू से वार किए। इसके तुरंत बाद, मोहर पाल ने "मार दिया, मार दिया" का शोर मचाकर भागने का प्रयास किया।बिल्लू (आरोपी नंबर 5) और राजेंद्र (आरोपी नंबर 3) ने मोहर पाल को पकड़ लिया और देव कुमार (आरोपी नंबर 6) ने मोहर पाल के पेट में एक चाकू मारा। इसी तरह, रूप चंद (आरोपी संख्या 4) ने मोहर पाल के पेट में चाकू से वार किया। उन्होंने मोहर पाल की कमर पर चाकू से वार भी किया जिसके परिणामस्वरूप मोहर पाल नीचे गिर गए।बताया जाता है कि घटनास्थल पर मौजूद बिशन सिंह, रवि, वेद प्रकाश, अनिल और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) मौके की ओर भागे और

उन्हें देखकर आरोपी भाग गए।इसके बाद, मोहर पाल को घायल हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।इस एफ़. आई. आर. के आधार पर ए. एस. आई. ज्ञान सिंह (पीडब्लू-6) ने जाँच अपने हाथ में ली।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. जाँच पूरा होने के बाद, आई. पी. सी. की धारा 148,302 और 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकदमा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (आई), फरीदाबाद के समक्ष 1998 का सत्र मामला No.40 होने के कारण शुरू हुआ।दोनों पक्षों ने गवाह पेश किए।अभियुक्त व्यक्तियों के अनुसार, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।इसके अलावा, यह उनका रुख है कि पिछली घटना में मोहर पाल घायल हो गया था जो उसी शाम शाम 6:30 बजे हुई थी।वह हमलावर दल का सदस्य था।लड़ाई के दौरान

जी.

एच.

जो हुआ, उसे विरोधी पक्ष के हाथों चोटें लगी होंगी।यह भी आरोपी का मामला था कि मोहर पाल को अनाज मंडी के पास किसी अन्य स्थान पर चोटें आई थीं और उन्हें तिपहिया वाहन से अस्पताल लाया गया था।दूसरे शब्दों में, घटना अस्पताल के पास नहीं हुई थी।

बी.

4. इस तरह की वैकल्पिक याचिका के आधार पर, अभियुक्त व्यक्तियों ने अपराध करने में अपनी संलिप्तता से इनकार किया।आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों के मुकदमे और बयान दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अंततः रोहतास (अभियुक्त संख्या 1), सुरेंद्र सिंह (अभियुक्त संख्या 2), रूप चंद (अभियुक्त संख्या 4) और देव कुमार (अभियुक्त संख्या 6) को दोषी ठहराया, लेकिन राजेंद्र (अभियुक्त संख्या 3) और बिल्लू (अभियुक्त संख्या 5) को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। विचारण न्यायालय ने

तदनुसार चारों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मृतक मोहर पाल की विधवा को दो साल के लिए और सश्रम कारावास की सजा सुनाई।यह निर्णय चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 की आपराधिक अपील संख्या 1,2,4 और 6 द्वारा अपील में किया गया था।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपीलार्थियों रोहतास (अभियुक्त संख्या 1) और सुरेंद्र सिंह (अभियुक्त संख्या 2) के खिलाफ अपराध के निष्कर्ष की पुष्टि की, लेकिन रूप चंद (अभियुक्त संख्या 4) और देव कुमार (अभियुक्त संख्या 6) को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।अपीलार्थियों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से राय दी कि अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपराध करने में उनकी संलिप्तता और चाकू से चोट पहुँचाकर मोहर पाल की मौत का कारण बने, जिसके कारण उन्होंने अंततः दम तोड़ दिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

5. नतीजतन, अपीलार्थियों, रोहतास (अभियुक्त संख्या 1) और सुरेंद्र सिंह (अभियुक्त संख्या 2) ने विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न इस अपील के माध्यम से उनके खिलाफ दर्ज अपराध के निष्कर्ष पर हमला किया है।

जी.

6. न तो राज्य ने और न ही शिकायतकर्ता ने राजेंद्र (अभियुक्त संख्या 3) और बिल्लू (अभियुक्त संख्या 5) को विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने और न ही रूप चंद (अभियुक्त संख्या 4) और देव कुमार (अभियुक्त संख्या 6) को उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।उनका बरी होना अंतिम हो गया है।

एच.

869

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

7. वर्तमान अपील में, हमलावर अनिवार्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है या गलत तरीके से सराहा है।बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) का साक्ष्य अविश्वसनीय था और अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास था।यह आग्रह किया जाता है कि अभियोजन पक्ष

अपीलार्थियों के खिलाफ भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है। अपीलार्थियों के अनुसार, वास्तविक और मूल तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष का मामला कई कमियों से भरा हुआ है जैसे किः-

बी.

"(i) आई. ओ. द्वारा मृतक के कपड़ों की कोई जब्त सूची नहीं बनाई गई; (ii) मृतक के रक्त समूह का पता नहीं चला था, इसलिए कथित कुर्ते पर पाए गए रक्त और खून से सना मिट्टी के बीच मृतक के रक्त के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया था।इस प्रकार अभियोजन पक्ष जब्त की गई वस्तुओं पर पाए गए रक्त और मृतक के रक्त के बीच संबंध स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

सी.

डी.

(iii) अभियोजन पक्ष ने कथित रूप से कथित चाकू बरामद किया और इसे एफएसएल को भेज दिया, लेकिन उसने न्यायालय में उक्त चाकू पेश नहीं किया और न ही इसे प्रदर्शित किया, इसके अलावा खून के कोई दाग नहीं थे, इसलिए बरामद चाकू को इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है।

ई.

(iv) वसूली ज्ञापन पूर्व के अनुसार शर्ट जब्त कर ली गई थी। पीबी, लेकिन एफएसएल को भेजते समय कुर्ता को बदल दिया गया था;

(v) यदि मृतक द्वारा चाकू से घायल होने के दौरान कुर्ता पहना जाता है, तो उसमें कट के संकेत होने चाहिए लेकिन कोई नहीं था;

एफ.

(vi) अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए किसी भी स्वतंत्र पंच (वसूली गवाह) को नहीं;

(vii) आई. ओ. स्केच प्लान एक्स. पी. एच. में यह दिखाने में बुरी तरह विफल रहा है कि एफ. आई. आर. के अनुसार किस स्थान या स्थान से खून का निशान था और कथित रूप से खून बरामद किया गया था, क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा कथित पहले हमले में मृतक मोटर साइकिल पर था, जिसे वह छोड़ गया और "मार दिया मार दिया" का शोर करके भागने की कोशिश की और उसके बाद रूप चंद और देवी ने उसे कम से कम दो से तीन बार चाकू मार दिया।

जी.

एच.

(viii) घटना या कथित वसूली और पूछताछ रिपोर्ट के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई;

(ix) सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान गवाहों यानी अनिल और वेद प्रकाश को अभियोजन पक्ष द्वारा रोक लिया गया था, जिन्होंने शाम 6:30 बजे गाँव की पिछली घटना में भी भाग लिया था और घायल हो गए थे;

बी.

(x) अभियोजन पक्ष ने गाँव में लगभग शाम 6:30 बजे हुई घटना के किसी भी चश्मदीद गवाह से पूछताछ नहीं की, जिसे कथित रूप से रात 8:30 बजे की वर्तमान घटना के उद्देश्य के रूप में दिखाया गया था।

सी.

(xi) अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर मृतक के एमएलआर को रोक दिया जो बचाव पक्ष द्वारा डीडब्ल्यू-2 के माध्यम से साबित किया गया था और उक्त एमएलआर और मोहरपाल, वेद प्रकाश और अनिल को लगी चोटों पर, घायल वेद प्रकाश द्वारा थाना सदर में आईपीसी की धारा 149 आर/डब्ल्यू 148 के तहत दर्ज प्राथमिकी के माध्यम से एक क्रॉस केस दर्ज किया गया था, मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पलवल द्वारा की गई थी, और आरोपी को दिनांक 24/01/2007 के फैसले से बरी कर दिया गया था।

डी.

(xii) स्केच प्लान एक्स पी. एच. में यह नहीं दिखाया गया है कि मोटरसाइकिल कहाँ फेंकी गई थी, मृतक ने अपने कपड़े कहाँ फेंके थे, गवाह पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 और उनके सहयोगी कहाँ खड़े थे और मृतक के शव को किस स्थान से उठाकर अस्पताल लाया गया था। इसलिए अभियोजन पक्ष घटना के स्थान को अपराध के साथ जोड़ने में बुरी तरह विफल रहा है;
(xiii) इस मामले में एफ़. आई. आर. मनगढ़ंत, मनगढ़ंत और दर्ज और परामर्श के बाद आदि प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच रिपोर्ट के बाद ही एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी जिसमें पीडब्लू-1 के निर्देश पर मृत्यु का समय ए. एम. के रूप में दर्ज किया गया था और अपराध की उत्पत्ति, हमलावरों के नाम, हथियार का नाम और गवाहों के नाम आदि का भी पूरी तरह से खुलासा किया गया होगा, जो जाँच रिपोर्ट में पूरी तरह से गायब हैं।

ई.

एफ.

जी.

(xiv) मामला दर्ज करने के लिए कथित एफ. आई. आर. और आई. ओ. की रिपोर्ट के बीच अंतर है; ए

एच.

871

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

(xv) मोटर साइकिल को जब्त न करना; (xvi) अनिल और वेद प्रकाश को गवाह के रूप में पेश न करना और विभिन्न अन्य अनियमितताएं और आई. ओ. पीडब्लू-6 के अनुचित बयान सहित जांच की गंभीर खामियां जो अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देती हैं।"

बी.

8. अपीलार्थियों के अनुसार, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की स्पष्ट दुर्बलताओं और मूलभूत दोषों पर पूरी तरह से प्रकाश डाला है जो घातक थे, और किसी भी मामले में, अपीलार्थी संदेह के समान लाभ के हकदार थे जैसा कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को विचारण न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताए गए अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका अपीलार्थियों की भूमिका से अलग नहीं है। तदनुसार, यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थियों को बरी कर दिया जाए क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने अपराध को साबित करने में विफल रहा है, और किसी भी मामले में, उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी रूप चंद (अभियुक्त संख्या 4) और देव कुमार (अभियुक्त संख्या 6) को दिया गया है।

सी.

डी.

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारणों को अपनाया है ताकि अपीलार्थियों रोहतास (अभियुक्त संख्या 1) और सुरेंद्र सिंह (अभियुक्त संख्या 2) के मामले में अंतर किया जा सके, जिन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा नामित किया गया है, और क्योंकि उनके अपराध को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सबूत हैं।यह आग्रह किया जाता है कि जाँच में और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में कोई कमी है, जिसने अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय की सराहना की।इसे किसी भी तरह से अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पहले यह दावा करते हुए विरोधाभासी याचिका दायर की कि उसी शाम शाम 6:30 बजे हुई पिछली घटना में दो समूहों के बीच लड़ाई के दौरान मोहर पाल घायल हो गया था।यह महसूस करने के बाद कि उक्त याचिका

की पुष्टि उनके द्वारा नहीं की जा सकती है, वैकल्पिक याचिका दायर की गई कि विचाराधीन घटना सरकारी अस्पताल के पास नहीं हुई थी और मोहर पाल को लगी चोटें अनाज मंडी के पास किसी अन्य स्थान पर लगी थीं, जहाँ से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तिपहिया वाहन में लाया गया था।हालांकि, आरोपी द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।राज्य द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि केवल इसलिए कि सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, यह अपीलार्थियों को उनकी भूमिका और उनके द्वारा अपराध करने के तरीके के बारे में उनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद समान राहत देने की गारंटी नहीं देता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही राज्य ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को चुनौती नहीं दी है, लेकिन यह अपने आप में अपीलार्थियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा उनके अपराध को घर लाने के लिए पेश किया गया है।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तों को दिया गया लाभ अपीलार्थियों को समान लाभ देने का आधार नहीं हो सकता है।

बी.

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2), जो चश्मदीद गवाह थे, के साक्ष्य को कम से कम इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ कम नहीं किया जा सकता है।यह अच्छी तरह से स्थापित है

स्थिति यह है कि यूनो में फाल्सस का सिद्धांत, सर्वव्यापी में फाल्सस का कोई नहीं है

सी.

भारत और न्यायालय में सामान्य प्रयोज्यता को सत्य को झूठ से अलग करने और साक्ष्य के एक हिस्से को स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।यह आग्रह किया जाता है कि अपील गुणदोष से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाए।

11. हमने अपीलार्थियों के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार और प्रत्यर्थी राज्य की अधिवक्ता डॉ. मोनिका गुसैन को सुना है।12. कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से एक अपील पर विचार करते हुए, सामान्य रूप से, रिकॉर्ड पर साक्ष्य की फिर से सराहना करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय को कानून या प्रक्रिया की एक स्पष्ट त्रुटि करते हुए नहीं दिखाया जाता है या नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष, इसके बावजूद, विकृत है।केवल इसलिए कि एक ही साक्ष्य पर एक और दृष्टिकोण संभव है, यह तथ्यों के बहुत कम समवर्ती निष्कर्ष के नीचे न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

डी.

ई.

(दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन **1;** एमएसटी देखें। दलबीर कौर और अन्य। बनाम।पंजाब राज्य **2;** रमनभाई नारनभाई पटेल और अन्य बनामगुजरात राज्य **3;** चंद्र बिहारी गौतम और अन्य बनामबिहार राज्य **4;** और राधा मोहन सिंह **@**लाल साहब और अन्य बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य **5)**।

एफ.

13. इस स्थिर स्थिति के बावजूद, हम खुद को आश्वस्त करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य के माध्यम से जाने का साहस कर सकते हैं कि क्या परीक्षण

जी.

1 (1975) 4 एससीसी 649 2 (1976) 4 एससीसी 158 3 (जेटी 1999 (9) एससी 319 4 जेटी 2002 (4) एससी 62 5 जेटी 2006 (1) एससी 428 ए

एच.

873

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

न्यायालय और उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट विकृति या त्रुटि की सीमा तय करते हुए स्पष्ट त्रुटि की है।अपीलार्थियों, रोहतास (अभियुक्त संख्या 1) और सुरेंद्र सिंह (अभियुक्त संख्या 2) की भूमिका के संबंध में, विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाह बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और

बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) की गवाही का विश्लेषण किया और उन्हें स्वाभाविक और भरोसेमंद पाया। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

बी.

“20. ..... उन दोनों ने कहा है कि गाँव में हुई घटना में, उनकी तरफ से अनिल और वेद प्रकाश को चोटें आई थीं और उस संबंध में वे उन्हें जनरल अस्पताल पलवल लाए थे, जहाँ मोहर पाल अपनी मोटर साइकिल पर रात 8:30 बजे पहुँचा और जब मोहर पाल किसी कमीशन एजेंट से कुछ पैसे लाने के लिए अनाज मंडी, पलवल के लिए रवाना हुआ, तो आरोपी व्यक्तियों ने उसे रास्ते में डाल दिया और फिर चाकू से घायल कर दिया।इन पीडब्ल्यू को कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि गाँव में अनिल और वेद प्रकाश के साथ मोहर पाल को भी चोटें आई थीं।बल्कि उन्हें यह सुझाव दिया गया कि बालजीत (पीडब्लू -2) और घटना के बाद मोहर पाल गाँव से अनाज मंडी गया था और दोनों ने शराब पी ली थी।उन्हें आगे यह सुझाव दिया गया कि मोहर पाल को अनाज मंडी पलवल में चोटें आई थीं और बलजीत उसे डॉ. लोकेश के नर्सिंग होम में भर्ती कराने के लिए रिक्शा में ले आया था जो कि जनरल अस्पताल पलवल के आसपास स्थित था और जब मोहर पाल की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु का अनुचित लाभ उठाते हुए आरोपी को फंसाते हुए यह झूठी कहानी रची गई थी।उन्हें आगे यह सुझाव दिया गया कि मोहर पाल को कमीशन एजेंट के रसोई के बगीचे की तेज धार वाली रेलिंग से चोटें आई थीं, जिनके पास वह गए थे।इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया कि गाँव में शाम को हुई घटना के कारण मोहर पाल घायल हो गया था।इस प्रकार, यह दलील कि आरोपी पक्ष ने निजी बचाव के अधिकार में मोहर पाल को चोट पहुंचाई, बिल्कुल निराधार है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

21. यह सच है कि एफ. आई. आर. No.152 दिनांकित 28/4/1998 में एक्स. डी. बी. ने शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर पलवल में दर्ज किया, यह उल्लेख किया गया कि अनिल, वेद प्रकाश और मोहर पाल को बचाव में चोटें आईं।यह प्रथम सूचना रिपोर्ट राजिंदर अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई थी।हालाँकि, इस संस्करण पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मोहर पाल की मृत्यु के बाद अस्तित्व में आया था।का एक अवलोकन

जी.

एच.

फिर पूर्व। डी. बी. से पता चलता है कि यह घटना सुबह 9 बजे आई. डी. 1 दिनांकित बलात्कार संख्या 5 के आधार पर दर्ज की गई थी। उस समय तक मोहर पाल की मृत्यु हो चुकी थी और हम आरोप लगाते हैं कि गांव में शाम 6:30 बजे आई. डी. 2 की घटना में उन्हें चोटें लगी थीं।इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एफ. आई. आर. अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं है।इसका उपयोग केवल किसी विशेष संस्करण का खंडन या पुष्टि करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।अभियुक्तों ने अपने बचाव में किसी ऐसे गवाह से पूछताछ नहीं की है जो यह बयान दे सके कि गाँव में हुई घटना में मोहर पाल को अभियुक्त पक्ष द्वारा निजी बचाव के अपने अधिकार में चोट पहुँचाई गई थी।"

बी.

सी.

विचारण न्यायालय ने आगे कहाः-

"लेकिन इस मामले में यह फैसला आरोपी को किसी भी तरह से मदद नहीं करता है क्योंकि बिशन सिंह और बलजीत सिंह पीडब्ल्यू की जिरह में भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि गाँव में आई. डी. 1 की शाम को हुई घटना में मोहर पाल को चोटें लगी थीं।"

डी.

विचारण न्यायालय ने फिर कहाः-

"24. यह सच है कि बिशन सिंह (पीडब्लू-1) बलजीत (पीडब्लू-2) रट्टी चंद, वेद प्रकाश और अनिल प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सके जब मोहर पाल पर उनकी नजरों में ही अभियुक्तों द्वारा हमला किया गया था।लेकिन यह अपने आप में उनके बयानों को काले रंग से चित्रित करने का कोई आधार नहीं है।आखिरकार घटना जनरल अस्पताल, पलवल के पास हुई थी क्योंकि जांच अधिकारी एएसआई ज्ञान सिंह ने भी वहां से खून से सना मिट्टी उठाया था।इन व्यक्तियों की वहाँ उपस्थिति स्वाभाविक थी क्योंकि वे अनिल और वेद प्रकाश का इलाज कराने आए होंगे, जिन्हें गाँव में हुए पूर्व विवाद में चोटें आई थीं।

ई.

एफ.

.....वर्तमान मामले में, घटना अचानक अस्पताल के पास हुई प्रतीत होती है।हो सकता है कि यह केवल 2 से 3 मिनट तक चला हो, बिशन सिंह, बालजीत सिंह और इस

प्रकार यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आरोपी का पीछा करके प्रभावी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सके।”

जी.

साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय ने एक बार फिर निम्नलिखित टिप्पणी की:-

“अभि. साक्षी-1 बिशन सिंह और अभि. साक्षी 2 बलजीत सिंह पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है कि ए की घटना में मोहर पाल पर हमला किया गया था।

एच.

875

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

रात 8:30 बजे। यह तर्क कि एफ़. आई. आर. में देरी हुई थी या एफ़. आई. आर. पूर्व-समय पर की गई थी या घटना की उत्पत्ति को दबा दिया गया था, केवल इस आधार पर कि जाँच रिपोर्ट में एफ़. आई. आर. की संख्या और एफ़. आई. आर. के नाम और अभियुक्तों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, कोई योग्यता नहीं है।बिशन सिंह अभि. साक्षी 1 का बयान जांच रिपोर्ट में विधिवत दर्ज किया गया है और अभि. साक्षी 2 बलजीत सिंह की उपस्थिति सहित प्राथमिकी में उनके द्वारा दिए गए पूरे संस्करण का उल्लेख किया गया है।बयान के एक हिस्से को अलग से पढ़ने पर दर्ज किया गया कि उन्होंने उस शव की पहचान की जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था, क्योंकि बाद में दर्ज किया गया बयान उचित नहीं है।अभि. साक्षी 1 बिशन सिंह और अभि. साक्षी 2 बलजीत सिंह की गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस हिस्से को स्वीकार करके सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से विश्वसनीय हो सकता है और उस हिस्से को स्वीकार नहीं करके जिस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता है।प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

पीडब्लू द्वारा दिए गए संस्करण के अनुसार, जब मोहर पाल मोटर साइकिल पर अनाज़ मंडी के लिए रवाना हुए थे, तो उन्हें अभियुक्तों ने रोक दिया था।रोहतास और सुरेंद्र ने मोहर पाल के पेट में एक-एक चाकू मारा। हम रोहतास और सुरेंद्र के संबंध में संस्करण के इस हिस्से को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।रोहतास और सुरेंद्र शिव सिंह के बेटे हैं, जो बचाव पक्ष के अनुसार, पिछली घटना में घायल हो गए थे।रोहतास से एक चाकू बरामद किया गया है। रोहतास और सुरेंद्र द्वारा हमले की शुरुआत को बिशन सिंह अभि. साक्षी1 और अभि. साक्षी2 बलजीत सिंह आसानी से देख सकते थे, जिनकी मौके पर उपस्थिति तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने से स्थापित होती है। केवल यह तथ्य कि एम. एल. आर. में उनके नाम का उल्लेख नहीं है, कोई

संदेह पैदा नहीं करता है।एम. एल. आर. में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि घायलों को अस्पताल कौन लाया।यह तथ्य कि घायल को घायल होने के बजाय उसकी मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया था, एक बड़ी विसंगति नहीं है।आधे घंटे के भीतर घायल की मौत हो गई और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया।आई. ओ. ने मृत्यु के तुरंत बाद अस्पताल में ही बिशन सिंह अभि. साक्षी 1 का बयान दर्ज किया।एफ. आई. आर. औपचारिक रूप से रात में तुरंत 12.45 ए. एम. दर्ज की गई और मजिस्ट्रेट को रात में ही सुबह 4 बजे तक इसकी प्रति प्राप्त हो गई। अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से जांच की जानी है और किसी भी छोटी विसंगति को अलग से नहीं लिया जा सकता है।केवल यह तथ्य कि उक्त गवाहों ने मृतक को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, इसका कोई प्रभाव नहीं है।गवाह कुछ दूरी पर थे और मिनटों के भीतर,

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त ने मृतक को चोट पहुँचाई।इस प्रकार, गवाहों को हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं मिला।मोटर साइकिल को बरामद नहीं करने या प्रकाश का स्रोत नहीं दिखाने में आई. ओ. की विसंगति, अभियोजन पक्ष के संस्करण के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं करती है।"

14. बिशन सिंह (पीडब्लू-1) के साक्ष्य को देखने के बाद, हमें यह विचार रखने में कोई संकोच नहीं है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।बिशन सिंह (पीडब्लू-1) ने अपने मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार बयान दिया है:-

बी.

"उसी दिन रात करीब 8:30 बजे मैं, रति चंद और बालजीत जी. एच. पलवल के गेट पर बात कर रहे थे।मेरे भाई मोहर पाल भी मोटर साइकिल से वहाँ आए थे।फिर मैंने मोहर पाल को अनाज़ मंडी, पलवल में एक कमीशन एजेंट से पैसे लाने के लिए वापस भेज दिया।

सी.

मोहर पाल ने मुश्किल से 10 कदम की दूरी तय की होगी कि न्यायालय में मौजूद आरोपी रोहतास, सुरेंद्र, बिल्लू, राजेंद्र, रूपी और देवी वहां आए और उन्होंने मोहर पाल की मोटर साइकिल को रोक दिया।इसके बाद रोहतास और सुरेंद्र ने मोहर पाल के पेट पर एक-एक चाकू से वार किया। अपनी मोटर साइकिल छोड़ते हुए, मोहर पाल ने फिर भागना शुरू कर दिया और मर-दिया मर्दिया का शोर मचाया।इसके बाद बिल्लू और राजेंद्र ने उसे पकड़ लिया और रूपी आरोपी ने उसकी पीठ पर चाकू से वार किया और देवी आरोपी ने उसके पेट पर चाकू से एक और वार किया जिसके परिणामस्वरूप मोहर पाल की मौके पर ही मौत हो गई।जब मैं, रति चंद, वेद प्रकाश और अनिल आदि मोहर पाल को बचाने के लिए भागने लगे तो आरोपी भाग गए।"

डी.

ई.

एफ.

15. उनसे व्यापक रूप से जिरह की गई है, लेकिन जिरह-इन-चीफ में उनके बयान के संबंध में जिरह से कोई नुकसान नहीं होता है कि रोहतास (आरोपी नंबर 1) और सुरेंद्र सिंह (आरोपी नंबर 2) ने मोहर पाल के पेट पर चाकू से वार किया और घातक चोटें पहुंचाईं।डॉ. रमेश लीखा (पीडब्लू-5) ने अपने साक्ष्य में चोटों के बारे में बात की है और मोहर पाल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी यही देखा जा सकता है कि उन्हें निम्नलिखित चोटें आई थीं:-

जी.

"1. घाव 3 x 0.25 से. मी., 8 से. मी. ऊपर और नाभि के बगल में।पेट के खुलने पर, यकृत का मध्य भाग बड़ी मात्रा में ए के साथ बुरी तरह से कटा हुआ पाया गया।

एच.

पेट की गुहा में रक्त।ओमेंटम और पेरिटोनियम के साथ सतही और गहरी दृष्टि से काटा गया था।

2. चीरा हुआ घाव जो 2 से. मी. ऊपर था और नाभि के पार्श्व में अंतर्निहित सतही और गहरे फेशिया और ओमेंटम को पेट के बाईं ओर काटा गया था।3. 8 से. मी. लंबा और रैखिक आकार और 8 से. मी. ऊपर और नाभि के बाईं ओर पार्श्वीय लाल घर्षण।

बी.

4. चीरा हुआ घाव 1 x 0.5 से. मी. एन. बाएं ऊपरी स्कैप्युलर क्षेत्र में अंतर्निहित मांसपेशियों को फेफड़े या फुफ्फुस को कोई चोट नहीं लगी थी।"

सी.

XXX

XXX

XXX

चिकित्सा अधिकारी द्वारा वी-रेमार्क

मेरी राय में इस मामले में मृतक को लगी चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव (एस. आई. सी.) में मृत्यु का कारण, विशेष रूप से नंबर 1 जो अकेले प्रकृति के एक सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।सभी चोटें पूर्व-मृत्यु प्रकृति की होती हैं।"

डी.

16. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि बिशन सिंह (पीडब्लू-1) की जिरह अपीलार्थियों के लिए मामले को आगे नहीं ले जाती है, जैसा कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है।बालजीत सिंह (पीडब्लू-2) के साक्ष्य के संबंध में भी यही स्थिति है। यहां तक कि उन्होंने भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जिस तरह से मोहर पाल को सभी आरोपी व्यक्तियों द्वारा रोका गया था जब वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे और उसके तुरंत बाद रोहतास (आरोपी नंबर 1) और सुरेंद्र सिंह (आरोपी नंबर 2) ने एक के बाद एक उसके पेट पर चाकू से वार किए।तथ्य यह है कि इसी तरह की भूमिका रूप चंद (अभियुक्त संख्या 4) और देव कुमार (अभियुक्त संख्या 6) को दी गई है, लेकिन उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया है, जो पहले से ही रिकॉर्ड में आ चुके साक्ष्य की गुणवत्ता को कम करने का आधार नहीं हो सकता है।हम उन अभियुक्तों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि न तो राज्य और न ही शिकायतकर्ता ने उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर हमला किया है।इसका मतलब यह नहीं है कि सह-अभियुक्त को दी गई गलत राहत उन अपीलार्थियों को भी दी जानी चाहिए जिनके खिलाफ उनके द्वारा अपराध करने के तरीके के बारे में सबूत दर्ज किए गए हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

17. यू. पी. बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण पर लौटना।मोती राम और अन्य। 6, यह उस मामले के तथ्यों को बदल देता है।वह मामला बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील थी और साक्ष्य की गुणवत्ता आश्वस्त करने वाली नहीं थी और बरी किए गए आरोपी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकालना आवश्यक था।यहां तक कि बलाका सिंह और अन्य बनाम के मामले में भी।पंजाब राज्य 7, यह न्यायालय अपीलार्थियों और उसमें अपीलार्थियों के साथ नामित चार अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य पर विचार कर रहा था, जो इतना अटूट रूप से मिश्रित था कि एक को दूसरे से अलग करना संभव नहीं था।

बी.

18. हालाँकि, वर्तमान मामले में, बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और बालजीत सिंह (पीडब्लू-2) के साक्ष्य, जो चश्मदीद गवाह हैं, ने घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है।सबसे पहले, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर सवार मोहर पाल को रोक दिया।उन्हें रोके जाने के तुरंत बाद, दोनों अपीलार्थियों ने मोहर पाल के पेट पर एक के बाद एक चाकू से वार किए।अपीलार्थियों की यह भूमिका विशिष्ट है।इसके बाद मोहर पाल ने मौके से भागने का प्रयास किया जब उसे अन्य आरोपी व्यक्तियों ने रोक दिया और उनमें से दो ने एक के बाद एक चाकू से हमला किया। इसलिए, घटनाओं को अलग किया जा सकता है।

सी.

डी.

19. जहाँ तक दूसरी घटना का संबंध है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने संबंधित अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया।इस अर्थ में, अपीलार्थियों घटना के उस हिस्से से संबंधित नहीं हैं।जैसा कि पूर्व में कहा गया है, भले ही हम अभियुक्त को दोषमुक्त करने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत न हों, हम उच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण को बढ़ाने से बचते हैं क्योंकि न तो राज्य और न ही शिकायतकर्ता ने उन अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के फैसले पर हमला किया है।किसी भी मामले में, उन अभियुक्तों को दिया गया गलत लाभ अपीलार्थियों के लाभ को सुनिश्चित नहीं कर सकता है जिनके खिलाफ स्पष्ट, सच्चा और अनुपलब्ध साक्ष्य सामने आ रहा है।क्योंकि, न तो बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) की उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है और न ही उनके साक्ष्य को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि वे मृतक मोहर पाल से संबंधित हैं, और इसलिए इच्छुक गवाह हैं।

ई.

एफ.

जी.

20. निस्संदेह, सिर्फ इसलिए कि गवाह संबंधित हैं, उनके साक्ष्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकता है, यदि यह अन्यथा स्वाभाविक और सच्चा है।उनके साक्ष्य ने विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी सच बताया है और हम उस समवर्ती से विचलित होने का कोई कारण नहीं देखते हैं

6 (1990) 4 एससीसी 389 7 (1975) 4 एससीसी 511 ए

एच.

879

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

न्यायालयों द्वारा लिया गया दृश्य नीचे दिया गया है।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह भूसी से अनाज को अलग करे और फिर किसी अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचे या अन्यथा, इस तथ्य के बावजूद कि उसी अपराध में नामित किसी अन्य अभियुक्त के लिए साक्ष्य की कमी पाई गई है।द.

मैक्सिम फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस को सामान्य नहीं मिला है

भारत में स्वीकृति और न ही यह उक्ति कानून के शासन का दर्जा प्राप्त करने के लिए आई है।इसे रिज़ान और अन्र बनाम में दोहराया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य 8.उक्त निर्णय के पैरा 12 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

बी.

“12. अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने की वांछनीयता के बारे में तर्क देने के लिए कुछ गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अस्वीकृति पर जोर दिया गया था। संक्षेप में, प्रार्थना सर्वव्यापी में यूनो फाल्सस में फाल्सस के सिद्धांत को लागू करना है (एक चीज में गलत, हर चीज में गलत)।यह दलील स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है।यदि साक्ष्य के एक बड़े हिस्से में कमी पाई जाती है, तो भी यदि अवशेष किसी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है, तो कई अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने के बावजूद उसकी दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है।भूसी से अनाज को अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है।जहाँ भूसी को अनाज से अलग किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए खुली होगी, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए सबूत की कमी पाई गई है।किसी विशेष भौतिक गवाह या विशेष सामग्री की असत्यता इसे शुरू से अंत तक बर्बाद नहीं करेगी।मैक्सिम फाल्सस

सी.

डी.

ई.

इन यूनो फाल्सस इन ओम्निबस का भारत में कोई अनुप्रयोग नहीं है और गवाहों को झूठा नहीं माना जा सकता है।सर्वव्यापी में यूनो फाल्सस में मैक्सिम फाल्सस को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है और न ही यह मैक्सिम कानून के शासन का दर्जा हासिल करने के लिए आया है।यह केवल सावधानी का नियम है।यह केवल इतना है कि ऐसे मामलों में गवाही की अवहेलना की जा सकती है**,** न कि इसकी अवहेलना की जानी चाहिए।इस सिद्धांत में केवल आठ साक्ष्यों का प्रश्न शामिल है जिसे एक न्यायालय परिस्थितियों के एक दिए गए समूह में लागू कर सकती है**,** लेकिन यह नहीं है कि इसे **"**साक्ष्य का एक अनिवार्य नियम**"** कहा जा सकता है।**(**देखें निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**)** केवल इसलिए कि कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है**,** हालाँकि उन सभी के खिलाफ सबूत हैं**,** जहाँ तक

एफ.

जी.

8 (2003) 2 एस. सी. सी. 661

एच.

प्रत्यक्ष गवाही चली गई**,** क्या वही एक आवश्यक परिणाम के रूप में नेतृत्व नहीं करता है कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है

उसे भी बरी किया जाना चाहिए।न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह उन अभियुक्तों को अलग करे जिन्हें बरी कर दिया गया था और जिन्हें दोषी ठहराया गया था। (गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य देखें।)यह सिद्धांत एक खतरनाक है, विशेष रूप से भारत में अगर गवाही के पूरे हिस्से को अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि एक गवाह स्पष्ट रूप से किसी पहलू में असत्य बोल रहा था, तो यह डर होना चाहिए कि आपराधिक न्याय का प्रशासन एक गतिरोध पर आ जाएगा।गवाह एक कहानी को कढ़ाई देने में मदद नहीं कर सकते हैं, भले ही मुख्य रूप से सच हो।इसलिए, प्रत्येक मामले में यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि सबूत किस हद तक स्वीकार करने योग्य है, और केवल इसलिए कि कुछ मामलों में न्यायालय इसे गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त मानती है, यह आवश्यक नहीं है कि कानून के मामले के रूप में इसका पालन किया जाए कि इसे सभी मामलों में भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए।साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।उपरोक्त उक्ति इस कारण से एक ठोस नियम नहीं है कि शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में असत्य का एक दाना या किसी भी तरह से अतिशयोक्ति, कढ़ाई या अलंकरण न हो।(देखें।

बी.

सी.

डी.

सोहराब बनाम एमपी राज्य और उगार अहिर बनाम बिहार राज्य।)अ.

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सम्मानित रूपक के संदर्भ में, अनाज को भूसे से, सत्य को झूठ से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।जहां सत्य और झूठ को अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि अनाज और भूसी अटूट रूप से मिश्रित हैं, और अलग होने की प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को पूरी तरह से उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से अलग करके एक बिल्कुल नए मामले का पुनर्निर्माण करना पड़ता है जिसके खिलाफ वे बनाए जाते हैं, एकमात्र उपलब्ध तरीका यह है कि साक्ष्य को पूरी तरह से त्याग दिया जाए।(ज़्विंगली एरियल बनाम देखें।

ई.

एफ.

एम. पी. राज्य और बलाका सिंह बनाम पंजाब राज्य)के रूप में

इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम कल्कि मामले में कहा कि साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण होती हैं और वे हमेशा होती हैं, चाहे कोई गवाह कितना भी ईमानदार और सच्चा क्यों न हो।भौतिक विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं।अदालतों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होगा जिसमें विसंगति ए हो सकती है

जी.

एच.

881

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

वर्गीकृत किया जाए।जबकि सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, भौतिक विसंगतियाँ ऐसा करती हैं।इन पहलुओं पर हाल ही में कृष्ण मोची बनाम राज्य में प्रकाश डाला गया था।

बिहार और गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य।आरोप-प्रत्यारोप

मामले में अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है।जहां तक बरी किए गए और दोषी ठहराए गए अभियुक्तों का संबंध है, नीचे दी अवर न्यायालयों ने साक्ष्य में विशिष्ट विशेषताओं का स्पष्ट रूप से संकेत दिया है।"

बी.

(जोर दिया गया) 21.उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम कुमार और अन्य में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय में। 9, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि तुच्छ प्रकृति के गवाहों के बयान में मामूली विसंगतियां समग्र रूप से साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती हैं। न्यायालय ने ब्रह्म की व्याख्या पर भरोसा किया

सी.

स्वरूप और अन्न बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य 10.के अनुच्छेद 32 में

न्यायालय ने कहा कि उक्त निर्णय इस प्रकार हैः- "32. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि एक गवाह के साक्ष्य की सराहना करते हुए, तुच्छ मामलों पर छोटी विसंगतियां, जो अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करती हैं, न्यायालय को पूरी तरह से साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती हैं।" अप्रासंगिक

डी.

ऐसे विवरण जो किसी भी तरह से गवाह की विश्वसनीयता को खराब नहीं करते हैं, उन्हें चूक या विरोधाभास के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।"

कुछ मामूली विवरणों में अंतर, जो अन्यथा अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करता है, भले ही मौजूद हो, स्वयं न्यायालय को मामूली भिन्नताओं और विसंगतियों पर साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।सावधानी और सावधानी बरतने और सच्चाई को असत्य, अतिशयोक्ति और सुधारों से अलग करने के लिए सबूतों की जांच करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क्या अवशिष्ट सबूत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं।इस प्रकार, चूक, अंतर्विरोध और विसंगतियों को अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो मामले के केंद्र में नहीं जाते हैं और अभियोजन पक्ष के गवाह के मूल संस्करण को हिलाते हैं।चूँकि मनुष्य की मानसिक क्षमताओं को सभी विवरणों को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इसलिए गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियां होना तय है।(यू. पी. की स्थिति देखें।

ई.

एफ.

जी.

बनामएम. के. एंथनी, राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, राज्य बनाम सरवनन और पृथ्वी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य)

9 (2017) 14 एससीसी 614 10 (2011) 6 एससीसी 288

एच.

882

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 16 एस सी आर।

22. हमारी राय में, अपीलार्थियों द्वारा जांच या अभियोजन मामले में बताई गई तथाकथित कमियां महत्वहीन और तुच्छ हैं और बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) के पूरे साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट के रूप में अन्य साक्ष्यों और अस्पताल के पास उस स्थान से मानव रक्त दाग वाली मिट्टी की बरामदगी से होती है जहां मोहर पाल पर आरोपी द्वारा हमला किया गया था।यह तथ्य कि मानव रक्त दाग वाली मिट्टी के रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सकता है, उस साक्ष्य के टुकड़े को त्यागने का कोई आधार नहीं हो सकता है।यहां तक कि अपराध के दौरान रोहतास (अभियुक्त संख्या 1) द्वारा उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी भी अपराध के दौरान अपीलार्थियों की भूमिका और संलिप्तता को मजबूत करती है।अभिलेख पर गुणवत्तापूर्ण ठोस साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के अपराध को स्थापित करता है।

बी.

सी.

23. दिलावर सिंह एंड ओआरएस बनाम दिलावर सिंह बनाम दिलावर सिंह बनाम दिलावर सिंह

जाना चाहिए कि गवाहों के व्यवहार या स्थिति से स्थिति और व्यक्ति से व्यक्ति में उनकी प्रतिक्रियाओं में भिन्नता और अंतर होना तय है।गवाहों की प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती।न्यायालय को अवास्तविक आधार पर साक्ष्य की व्याख्या नहीं करनी चाहिए।मानव प्रतिक्रिया में एकरूपता के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है।मोहर पाल के अस्पताल में भर्ती होने के समय की स्थिति के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में अंतर, इसलिए, मामले को आगे नहीं ले जाता है, विशेष रूप से जब चिकित्सा रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उन्हें अर्ध-बेहोशी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

डी.

ई.

24. जहाँ तक एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी का संबंध है, उस पहलू पर भी विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष ने उस बचाव याचिका को खारिज कर दिया है जिसका उच्च न्यायालय ने समर्थन किया है।हम इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष से विचलित होने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी।बिना समय गंवाए एफ. आई. आर. दर्ज करने के महत्व को रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है।आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एम. मधुसूदन राव 12 में इस न्यायालय ने इसी तरह के तर्कों पर विचार करते हुए पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

एफ.

जी.

11 (2015) 1 एससीसी 737 12 (2008) 15 एससीसी 582 ए

एच.

“30. समय-समय पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट को शीघ्र दर्ज करने के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया है।प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, अक्सर, अलंकरण और अतिशयोक्ति में परिणाम देती है, जो एक विचार के बाद का प्राणी है।एक विलंबित रिपोर्ट न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, एक रंगीन संस्करण की शुरुआत का खतरा, घटना का एक अतिरंजित विवरण या विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप एक मनगढ़ंत कहानी भी सामने आती है, जिससे इसकी सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।इसलिए, यह आवश्यक है कि रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को संतोषजनक रूप से समझाया जाए।”

बी.

सी.

25. वर्तमान मामले में, कोई देरी नहीं हुई है जैसा कि समकालीन अभिलेख से स्पष्ट है।घटना के तुरंत बाद मोहर पाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉ. रमेश ने उनकी जांच की।मोहर पाल को दोपहर 11.00 पर मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ने सिटी पुलिस स्टेशन को दोपहर 11.30 पर सूचित किया। इसके बाद, बिशन सिंह (पीडब्लू-1) ने अस्पताल की इमारत के पास एएसआई ज्ञान सिंह (पीडब्लू-5) से शिकायत की और अंत में 0015 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।रात के बीच में

डी.

2526 अप्रैल, 1998।किशन सिंह (मृत) में एल. आर. बनाम.

गुरपाल सिंह और अन्य। 13, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की थीः- "22. ऐसे मामलों में जहां प्राथमिकी दर्ज करने में देरी होती है, न्यायालय को इस तरह की देरी के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण की तलाश करनी होती है।इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में, देरी घातक हो सकती है।इस तरह की कार्यवाही को रद्द करने का कारण केवल यह नहीं हो सकता है कि आरोप एक विचार के बाद थे या घटनाओं का एक रंगीन संस्करण दिया गया था।ऐसे मामलों में न्यायालय को अपने समक्ष तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए क्योंकि एक हताश वादी जो दीवानी न्यायालय के समक्ष सफल होने में विफल रहा, वह दुर्भावनापूर्ण इरादों या दूसरे पक्ष से बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है।दुखी और हताश वादियों को आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सस्ते में लागू करके अपनी कुंठाओं को दूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।न्यायालयी कार्यवाही को उत्पीड़न और उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में, जहां एक प्राथमिकी स्पष्ट रूप से दर्ज की जाती है

ई.

एफ.

जी.

13 (2010) 8 एस. सी. सी. 775

एच.

एक निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण दूसरे पक्ष के बावजूद और दूसरे पक्ष को लंबी और कठिन आपराधिक कार्यवाही में फंसाने के लिए, न्यायालय यह विचार कर सकती है कि यह तथ्यों और परिस्थितियों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

मामला।(चंद्रपाल सिंह बनाम महाराज सिंह; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल; जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ; और गोरिगे पेंटाया बनाम ए. पी. राज्य) "

बी.

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें विचारण न्यायालय के इस विचार को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी।

सी.

27. हम विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भी सहमत हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है कि बचाव पक्ष ने स्व-विरोधाभासी रुख अपनाया था।सबसे पहले, यह दावा किया गया कि मोहर पाल को उसी शाम शाम 6:30 बजे हुई पहली घटना में चोटें आईं।हालाँकि, उस याचिका के समर्थन में कोई सबूत सामने नहीं आया था।फिर, बचाव पक्ष द्वारा वैकल्पिक याचिका यह थी कि मोहर पाल वास्तव में अनाज मंडी के पास किसी अन्य स्थान पर घायल हो गया था और उसे तिपहिया वाहन से अस्पताल लाया गया था।यहाँ तक कि अभियुक्त की इस याचिका को भी कल्पना की उपज माना गया है और इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है।दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अस्पताल के पास उस स्थान से मानव रक्त की मिट्टी के रूप में सबूत पेश किए हैं, जहां यह घटना हुई थी, जैसा कि बिशन सिंह (पीडब्लू-1) और बलजीत सिंह (पीडब्लू-2) ने कहा है।

डी.

ई.

28. यहां तक कि यह तथ्य कि उसी शाम 6:30 बजे हुई पहली घटना के संबंध में दायर किए गए क्रॉस-मामलों में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, अपीलार्थियों के लिए मामले को आगे नहीं ले जाएगा।यह एक स्वतंत्र घटना थी जबकि अपीलार्थियों के खिलाफ दर्ज अपराध का निष्कर्ष उस घटना से संबंधित है जो सरकारी अस्पताल, पलवल के पास रात 8:30 बजे हुई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साबित किया गया था।वास्तव में, रात 8:30 बजे की घटना दो समूहों के बीच शाम 6:30 बजे हुई लड़ाई और उनके बीच पिछली दुश्मनी का जवाबी विस्फोट था।यह तथ्य कि पिछली शत्रुता के बारे में कोई सबूत नहीं है और हमारे विचार में कि इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा लिए गए समवर्ती दृष्टिकोण को उलटने का आधार नहीं हो सकता है- अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करना।

एफ.

जी.

एच.

885

रोहतास और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य [ए. एम. खानविलकर, जे.]

25 अप्रैल, 1998 को लगभग 8:30 बजे सरकारी अस्पताल, पलवल के पास मोहर पाल पर हमला करने का अपराध।

29. इसलिए मामले के किसी भी दृष्टिकोण को देखते हुए, इस अपील में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और हम इसे खारिज करने के लिए तैयार हैं।तदनुसार, इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है।अपीलार्थियों के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।अपीलार्थियों आज से चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन को कानून के अनुसार अपीलार्थियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

बी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.